दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

सुरक्षित : 18.01.2023
उद्घोषित : 01.05.2023

आप.अ.1268/2010

संजीव कुमार ..... अपीलार्थी

द्वारा: श्री. एल. एस. चौधरी, डॉ. अजय चौधरी, श्री विशेष कुमार, सुश्री विनीता व सुश्री मोनिका, अधिवक्तागण।

बनाम

रा.रा.क्षे. दिल्ली राज्य ..... प्रत्यर्थी

द्वारा: श्री. नरेश कुमार चाहर, एस. राज्य हेतु अति.लो.अभि सह उप.नि. मोहित, थाना स्वरूप नगर।

कोरमः

माननीय न्यायमूर्ति सुश्री स्वर्ण कांता शर्मा

<u>निर्णय</u>

<u>स्वर्ण कांता शर्मा, न्या.</u>

1. वर्तमान अपील अपीलार्थी द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 ('दं.प्र.सं.') की धारा 374 के तहत दायर की गई है, जिसमें विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (उत्तर पश्चिम-04), रोहिणी, दिल्ली द्वारा मामला प्राथमिकी सं. 85/2008 में पारित आक्षेपित निर्णय दिनांकित 22.09.2010 तथा दंडादेश दिनांकित 25.09.2010 को चुनौती दी गई है जिसके तहत विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने दोनों अभियुक्त व्यक्तियों को भारतीय दंड संहिता (भा.दं.सं.) की धारा 363/365/34 के तहत दंडनीय अपराध करने के लिए सिद्धदोष ठहराया है। उन्हें भा.दं.सं. की धारा 376 के तहत दंडनीय अपराध करने के लिए भी सिद्धदोष ठहराया गया था।

2. शुरुआत में, यह ध्यान देना उचित है कि राज्य ने एक अपील यानी आप.अ. 1067/2013 दायर की थी जिसमें दंडादेश को बढ़ाकर आजीवन कारावास करने की मांग की गई थी। सह-अभियुक्त नरेश की अपील के लंबित रहने के दौरान मृत्यु हो गई और उसकी अपील के साथ-साथ राज्य द्वारा दायर अपील भी समाप्त हो गई। वर्तमान अपील के साथ-साथ अपीलार्थी संजीव कुमार के सन्दर्भ में राज्य की अपील भी लंबित रही। अपीलार्थी संजीव कुमार का भी दिनांक 15.05.2021 को निधन हो गया, हालाँकि अपीलार्थी की पत्नी ने आप.वि.आ. सं. 4464/2022 ने दं.प्र.सं. की धारा 394-ग के प्रावधान के तहत अपील जारी रखने के लिए न्यायालय से अनुमति मांगी और न्यायालय की खंड पीठ ने आदेश दिनांकित

13.09.2022 के माध्यम से अपीलार्थी की पत्नी को वर्तमान अपील जारी रखने के लिए अनुमति दी। वर्तमान अपील की सुनवाई एकल पीठ द्वारा की जानी थी, इसलिए वर्तमान अपील को इस पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया था।

3. संक्षेप में कहा जाए, अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि दिनांक 24.04.2008 को, अभियोक्त्री ने इस आरोप पर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि वह अपने परिवार के साथ महेन्दीपुर बालाजी, मंदिर (राजस्थान) से दिल्ली के नंगली पूना में हनुमान मंदिर गई थी। उसके माता-पिता मंदिर के भीतर गए थे, जबकि उसे एक सरकारी स्कूल के सामने सामान के साथ बाहर छोड़ दिया गया था। इस बीच, दो लड़कों के साथ एक सफेद रंग की कार, जिसमें से एक कार चला रहा था और दूसरा पीछे की सीट पर बैठा था, ने अभियोक्त्री के सामने कार रोक दी थी। कार चलाने वाले लड़के ने अभियोक्त्री को कार के अंदर खींच लिया था और पीछे की सीट पर बैठे याचिकाकर्ता ने चलती कार में उस का यौन उत्पीड़न किया था। लगभग दो घंटे के बाद, अभियोक्त्री को उसी स्थान पर छोड़ दिया गया जहाँ से उसे कार के अंदर घसीटा गया था। इसके बाद उसने पूरी घटना अपने पिता को सुनाई, जिन्होंने पुलिस को सूचित किया था। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची थी और जांच करने पर कथित अपराध में उपयोग होने वाली कार सड़क के पास खड़ी पाई गई थी और बलात्कार करने वाले दो लड़के भी वहां मौजूद थे।

अभियोक्त्री ने पुलिस द्वारा पकड़े गए लड़कों की पहचान की थी और उन्होंने संजीव कुमार और नरेश के रूप में अपने नामों का खुलासा किया था। इसके बाद प्राथमिकी दर्ज की गई और जांच के बाद आरोप पत्र दायर किया गया।

4. विद्वान विचारण न्यायालय ने आदेश दिनांकित 10.09.2008 के माध्यम से भा.दं.सं. की धारा 363/365/376(2)छ/34 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ आरोप विरचित करने के लिए आगे बढ़े। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आरोप पर पारित आदेश दिनांकित 10.09.2018 के प्रासंगिक भाग को निम्नानुसार उद्घृत किया गया हैः

> "मैंने प्रासंगिक अभिलेख का अध्ययन किया है और मैंने पाया है कि अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ भा.दं.सं. की धारा 363/365/34 व 376(2)(छ) के तहत प्रथम दृष्टया मामला बनता है।
>
> तदनुसार, दोनों अभियुक्तों के खिलाफ भा.दं.सं. की धारा 363/365/34 व 376(2)(छ) के तहत आरोप विरचित किए जाते है, जिस पर उन्होंने दोषी नहीं होने का अनुरोध किया और विचारण का दावा किया।
>
> अब मामला दिनांक 7.11.2008 को अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के लिए सामने आएगा। अभियोक्त्री और अन्य महत्वपूर्ण गवाहों को पहली बार में समन किया जाए।"

5. विचारण के दौरान, अभियोजन पक्ष ने 20 गवाहों का परीक्षण किया। विचारण के पूर्ण होने के बाद, अभियुक्त व्यक्तियों को निर्णय दिनांकित 22.09.2010 के माध्यम से सिद्धदोष ठहराया गया था, उसी के प्रासंगिक हिस्से को निम्नानुसार उद्घृत किया गया हैः

> "..... इस प्रकार, उपरोक्त चर्चा और टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए और वर्तमान मामले के तथ्य और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरी सुविचारित राय है कि अभियोजन पक्ष इस बात को युक्तियुक्त संदेह से परे अभिलेख पर साबित करने में सफल रहा है कि घटना के दिन, अभियुक्त संजीव और नरेश दोनों ने अपने सामान्य आशय में अग्रसर होते हुए, एक नाबालिग लड़की, अभियोक्त्री का उसके माता पिता की इच्छा विरुद्ध बिना माता-पिता की सहमति के उसे गुप्त रूप से या गलत तरीके से कैद करने के आशय से अपहरण कर लिया, और उसके बाद अभियुक्त संजीव ने अभियोक्त्री पर उसकी इच्छा के विरुद्ध और उसकी सहमति के बिना बलात्कार किया। तदनुसार, मैं दोनों अभियुक्तों - संजीव कुमार और नरेश कुमार को भा.दं.सं. की धारा 363/34 व भा.दं.सं. की धारा 365/34 के तेहत दंडनीय अपराध हेतु दोषी मानता हूं और तदनुसार उन्हें सिद्धदोष ठहराता हूं। अभियुक्त संजीव कुमार को भा.दं.सं. की धारा 376 के तहत भी दोषी और सिद्धदोष ठहराया जाता है ....."।

6. इसके बाद, विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने आक्षेपित दंडादेश दिनांकित 25.09.2010 द्वारा दोनों सिद्धदोषों को तीन साल के लिए कठोर कारावास और रु. 10,000/- का जुर्माना प्रत्येक की सजा सुनाई जिसके की स्थिति व्यतिक्रम में भा.दं.सं. की धारा 364/34 के तहत दंडनीय अपराध के लिए पांच महीने के लिए साधारण कारावास भोगने और पांच वर्षों के अतिरिक्त कठोर कारावास के साथ प्रत्येक को रु. 10,000/- के जुर्माने की सजा सुनाई जिसके व्यतिक्रम की स्थिति में भा.दं.सं. की धारा 365/34 के तहत दंडनीय अपराध के लिए पांच महीने के लिए साधारण कारावास भोगना होगा। इसके अतिरिक्त उन्हें 10 साल के लिए कठोर कारावास और 30,000/- रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई जिसके व्यतिक्रम में भा.दं.सं. की धारा 376 के तहत दंडनीय अपराध के लिए एक साल के लिए साधारण कारावास भोगना होगा।

7. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय तथा दंडादेश से व्यथित होकर, अपीलार्थी ने वर्तमान अपील दायर की थी।

8. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता आवेगपूर्ण रूप से तर्क देते है कि गवाहों के बयान में बड़ी विसंगतियां हैं और विद्वान विचारण न्यायालय यह समझने में विफल रहा है कि अभियोक्त्री द्वारा सुनाई गई कहानी असंभव थी तथा अस्वीकार्य साक्ष्य पर आधारित थी। यह भी तर्क दिया जाता है कि चिकित्सा साक्ष्य तथा न्यायसंबंधी विश्लेषण आख्या अभियोजन पक्ष की कहानी का समर्थन नहीं करती

है। यह कहा गया है कि अभियोक्त्री ने प्राथमिकी में घटना के विभिन्न संस्करण दिए हैं, दं.प्र.सं. की धारा 161, 164 के तहत अपने बयान में और विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष अपने बयान में, अभियोक्त्री द्वारा दिए गए ये बयान स्व-विरोधाभासी हैं।

9. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि जाँच अधिकारी द्वारा तैयार की गई स्थल योजना (साईट प्लान) कथित प्रश्नगत मंदिर को भी नहीं दर्शाती है। आगे यह तर्क दिया गया है कि मंदिर के पुजारी और अभियोक्त्री के पिता से अभियोजन पक्ष द्वारा गवाह के रूप में पूछताछ नहीं की गई थी। इसके अलावा, यह विश्वास करना असंभव है कि वहां कोई भी राहगीर, आम जन, सरकारी विद्यालय के शिक्षक या छात्र उपस्थित नहीं थे जिन्होंने कथित अपराध को देखा था। यह तर्क दिया गया है कि किसी भी आम जन आदि से घटनास्थल पर कोई पूछताछ नहीं की गई थी, जो अभियोजन पक्ष की कहानी को संदिग्ध बनाता है।

10. *इसके विपरीत*, राज्य के लिए विद्वान अति.लो.अभि का तर्क है कि अभियोक्त्री का बयान मात्र ही अभियुक्त को सिद्धदोष ठहराने के लिए पर्याप्त है और आगे कहते है कि अभियोक्त्री या गवाहों के बयानों में कोई बड़ी विसंगतियां

नहीं हैं और आदेश में कोई दुर्बलता या अवैधता नहीं है और अपील को दरकिनार किया जाए।

11. मैंने दोनों पक्षकारगण की ओर से दलीलें सुनी हैं और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अध्ययन किया है।

12. मामले के गुणागुण पर विचार करने से पूर्व, यह न्यायालय विधि के प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों को पुनः प्रस्तुत करना उचित समझता है जिसके तहत अपीलार्थी को वर्तमान मामले में सिद्धदोष ठहराया गया है। इन्हें निम्नानुसार उद्घृत किया गया हैः

> "... 363. व्यपहरण के लिए दंड - जो कोई भी [भारत] में से या विधिपूर्ण संरक्षकता में से किसी व्यक्ति का व्यपहरण करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।
>
> 365. किसी व्यक्ति का गुप्त रीति से और सदोष परिरोध करने के आशय से व्यपहरण या अपहरण - जो कोई इस आशय से किसी व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण करेगा कि उसका गुप्त रीति से और सदोष परिरोध किया जाए, वह दोनों में से किसी भाँती के कारावास से जिसकी अवधि सात वर्ष

तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

34. सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य - जबकि कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सब के सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से, हर एक व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है, मानो वह कार्य अकेले उसी ने ही किया हो।

376. बलात्संग के लिए दंड - (1) जो कोई, उपधारा (2) में उपबंधित मामलों के सिवाय, बलात्संग करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कठोर कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष, से कम की नहीं होगी किन्तु जो आजीवन सावास तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा, जब तक कि बलात्संग की गई महिला उसकी अपनी पत्नी न हो और बारह साल से कम आयु की न हो, ऐसे मामलों में उसे किसी भी भाँति के कारावास से दंडित किया जाएगा, जो दो साल तक की अवधि के लिए या जुर्माने या दोनों के साथ हो सकता हैः बशर्ते कि न्यायालय, निर्णय में उल्लिखित किए जाने वाले पर्याप्त और विशेष कारणों के लिए, सात साल से कम की अवधि के लिए कारावास का दंडादेश दे सकता है... "

13. अभियोक्त्री के साक्ष्य पर विचार करने से पहले, यह न्यायालय अभियोक्त्री के साक्ष्य और अभियोजन की कहानी के साथ संपुष्टि के संबंध में न्यायिक पूर्व निर्णय का सन्दर्भ लेना भी उचित समझता है।

14. ***सदाशिव रामराव हदबे बनाम महाराष्ट्र राज्य*** (2006) 10 एससीसी 92 में, माननीय शीर्ष न्यायालय ने दोहराया कि अभियोक्त्री की एकमात्र गवाही पर भरोसा किया जा सकता है यदि यह न्यायालय के विश्वास को जागृत करती हैः

> "9. यह सत्य है कि बलात्कार के मामले में अभियुक्त को अभियोक्त्री की एकमात्र गवाही पर दोषी ठहराया जा सकता है, अगर यह न्यायालय के मन में विश्वास पैदा करने में सक्षम है। यदि अभियोक्त्री द्वारा दिया गया संस्करण किसी भी चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा असमर्थित है या आसपास की पूरी परिस्थितियाँ अत्यधिक असंभव हैं और अभियोक्त्री द्वारा स्थापित मामले को झुठलाती हैं, तो न्यायालय अभियोक्त्री के एकमात्र साक्ष्य पर कार्य नहीं करेगी।
>
> न्यायालयों को अभियोक्त्री की एकमात्र गवाही को स्वीकार करने में अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए जब पूरा मामला असंभव हो और ऐसा होने की संभावना न हो।"

15. ***संतोष प्रसाद बनाम बिहार राज्य*** (2020) 3 एससीसी 433, माननीय शीर्ष न्यायालय ने चर्चा की कि किसे 'स्टर्लिंग विटनेस' कहा जा सकता है। ऐसा करते हुए, इन्होनें ***राय संदीप बनाम राज्य (रा.रा.क्षे. दिल्ली) (2012) 8 एससीसी 21*** में

अपने पिछले निर्णय का सन्दर्भ लिया, और निम्नलिखित माना व अभिनिर्धारित किया:

> "22. हमारी सुविचारित राय में, "स्टर्लिंग विटनेस" अत्यंत उच्च उत्तमता और क्षमता का होना चाहिए जिसका संस्करण, इस प्रकार, अभेद्य होना चाहिए। ऐसे गवाह के संस्करण पर विचार करने वाला न्यायालय बिना किसी हिचकिचाहट के इसे इसकी साख (फेस वैल्यू) पर स्वीकार करने की स्थिति में होना चाहिए। ऐसे गवाह की गुणवत्ता का परीक्षण करने के लिए, गवाह की स्थिति महत्वहीन होगी और ऐसे गवाह द्वारा दिए गए बयान की सच्चाई प्रासंगिक होगी। जो अधिक प्रासंगिक होगा वह प्रारंभिक बिंदु से अंत तक बयान की स्थिरता होगी, अर्थात्, उस समय जब गवाह प्रारंभिक बयान देता है और अंततः न्यायालय के समक्ष देता है। यह स्वाभाविक होना चाहिए और अभियुक्त के सम्बन्ध में अभियोजन पक्ष के मामले के अनुरूप होना चाहिए। ऐसे गवाह के संस्करण में कोई वाक् छल नहीं होना चाहिए। गवाह को किसी भी अवधि के प्रतिपरीक्षण का सामना करने की स्थिति में होना चाहिए और चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो और किसी भी परिस्थिति में घटना के तथ्य, इसमें शामिल व्यक्तियों के साथ-साथ इसके अनुक्रम के बारे में किसी भी संदेह की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। इस तरह के संस्करण का प्रत्येक अन्य सहायक सामग्री के साथ सह-संबंध होना चाहिए जैसे कि की गई बरामदगी, उपयोग किए गए हथियार, किए गए

अपराध का तरीका, वैज्ञानिक साक्ष्य और विशेषज्ञ की राय। उक्त संस्करण को हर दूसरे गवाह के संस्करण के साथ निरंतर ताल-मेल में होना चाहिए। यह भी कहा जा सकता है कि यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में लागू किए गए परीक्षण के समान होना चाहिए जहां अभियुक्त को उसके खिलाफ कथित अपराध का दोषी ठहराने के लिए परिस्थितियों की श्रृंखला में कोई कड़ी छूटनी नहीं चाहिए। केवल तभी जब ऐसे गवाह का संस्करण उपरोक्त परीक्षण के साथ-साथ अन्य लागू सभी समान परीक्षणों में उत्तीर्ण होता है, तो यह माना जा सकता है कि ऐसे गवाह को "स्टर्लिंग विटनेस" के रूप में माना जा सकता है, जिसका संस्करण न्यायालय द्वारा बिना किसी संपुष्टि के स्वीकार किया जा सकता है और जिसके आधार पर दोषी को दंडित किया जा सकता है। अधिक सटीक होने के लिए, अपराध की मूल विविधता पर उक्त गवाह का संस्करण बरकरार रहना चाहिए, जबकि अन्य सभी सहायक सामग्री, अर्थात् मौखिक, दस्तावेजी और महत्त्वपूर्ण वस्तुओं को महत्त्वपूर्ण विवरणों में उक्त संस्करण से मेल खाना चाहिए ताकि अपराध का विचारण करने वाले न्यायालय को अपराधी को कथित आरोप का दोषी ठहराने के लिए अन्य सहायक सामग्री को छानने के लिए मूल संस्करण पर भरोसा जता पाने में सक्षम बनाया जा सके।"

16. ***अब्बास अहमद चौधरी बनाम असम राज्य*** 2010 (2) जेसीसी 888 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया था कि बलात्कार के मामलों में भी अभियोजन पक्ष को युक्तियुक्त संदेह से परे मामले को साबित करना होगा। निर्णय के प्रासंगिक भाग को निम्नानुसार उद्घृत किया गया हैः

> "5... हम इस तथ्य से अवगत हैं कि बलात्कार के मामले में अभियोक्त्री के बयान को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, **लेकिन, साथ ही, व्यापक सिद्धांत कि अभियोजन पक्ष को अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित करना है, बलात्कार के मामले में समान रूप से लागू होता है और यह कोई धारणा नहीं हो सकती है कि एक अभियोक्त्री हमेशा पूरी कहानी को सच्चाई से बताएगी"।**
>
> (जोर दिया गया)

17. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ***कृष्ण कुमार मलिक बनाम राज्य हरियाणा*** (2011) 7 एससीसी 130 में अभिनिर्धारित किया कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि किसी अभियुक्त को बलात्कार के अपराध का दोषी ठहराने के लिए अभियोक्त्री का एकमात्र साक्ष्य पर्याप्त है बशर्ते वह विश्वास को जागृत करे और पूरी तरह से भरोसेमंद, बेदाग और स्टर्लिंग गुणवत्ता का प्रतीत हो।

18. इस न्यायालय ने अभिलेख पर रखी गई पूरी सामग्री का सावधानीपूर्वक आकलन करने के लिए उपरोक्त सिद्धांतों को लागू किया है।

19. वर्तमान मामले में, विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थियों की दोषसिद्धि को इस आधार पर आधारित किया है कि अभियोक्त्री ने अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा उसके अपहरण के संबंध में लगभग सुसंगत बयान दिया है और विद्वान बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा विस्तार से प्रतिपरीक्षण किए जाने के बावजूद उसकी विश्वसनीयता को एक गवाह के रूप में हिलाया नहीं जा सका है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा यह भी देखा गया है कि शिनाख्त परेड (टीआईपी) आयोजित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि अभियुक्त व्यक्तियों को अभियोक्त्री की उपस्थिति में गिरफ्तार किया गया था और अभियोक्त्री के बयान की परिस्थितिजन्य, न्यायसंबंधी और चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा विधिवत संपुष्टि की गई है। इसके अतिरिक्त, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि बलात्कार का तथ्य चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित किया गया है और बचाव पक्ष के गवाह वर्तमान मामले में घटना के बारे में कोई भी गवाही नहीं दे पाए हैं, बल्कि केवल यह कहा है कि वर्तमान मामले की घटना से पहले से अभियोक्त्री के पिता द्वारा उसका यौन उत्पीड़न किया जा रहा था, जो वर्तमान मामले के तथ्यों में प्रासंगिक नहीं है।

20. हालाँकि, पीड़िता की गवाही के अवलोकन से पता चलता है कि, हालाँकि विद्वान विचारण न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि उसके बयान में कोई विरोधाभास नहीं है, यह न्यायालय उसके बयान में कई महत्वपूर्ण विरोधाभासों

पाता है। 24.04.2008 को दं.प्र.सं. की धारा 161 के तहत दर्ज अपने बयान (प्र. अभि.सा. 1क) में, उसने कहा था कि वह अकेली थी और नांगलीपूना मंदिर के पास एक सरकारी स्कूल के बाहर बैठी थी। तथापि, दिनांक 25-04-2008 को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अंतर्गत दर्ज किए गए अपने बयान (प्र. अभि.सा.-6/घ) में उसने कहा है कि वह किसी अज्ञात स्थान पर बैठी थी और उसे कथित घटना स्थल का नाम या क्षेत्र याद नहीं था। दं.प्र.सं. की धारा 161 के तहत दर्ज बयान में अभियोक्त्री ने कहा था कि जब वह सामान के साथ बैठी थी, तब एक कार उसके पास आई थी, जबकि उसके पिता हनुमान मंदिर गए थे, और उसके बाद कार चला रहे अभियुक्त ने कार के बाएं ओर का सामने का दरवाजा खोला था और उसका मुंह बंद कर दिया था और उसे कार के अंदर खींच लिया था। इसके बाद अभियुक्त यानी इसमें याचिकाकर्ता ने कार को आगे बढ़ाया और उसके साथ 'गलत काम' किया। जबकि दं.प्र.सं. की धारा 164 के तहत बयान के अवलोकन से उसने कहा था कि वे दो अजनबी/अभियुक्त एक सफेद कार में उसके पास आए थे, चालक ने अभियोक्त्री को कार के अंदर खींच लिया था और कार की पिछली सीट पर बैठे अभियुक्त यानी याचिकाकर्ता ने उसके साथ 'गलत काम' किया था। इस बीच, अन्य अभियुक्त कार चलाता रहा और उसके बाद पीड़िता को उसी स्थान पर छोड़ दिया, जहां से उसका अपहरण किया गया था। इसके अलावा यह भी उल्लेख किया गया है कि अभियोक्त्री ने दं.प्र.सं. की धारा 161 के तहत दर्ज अपने बयान

में कहा था कि दोनों अभियुक्तों को कार में बैठे हुए पकड़ा गया था और पुलिस ने उन्हें नंगलीपूना के पास खड़ी कार से पकड़ा था। हालांकि, उसने दं.प्र.सं. की धारा 164 के तहत एक विपरीत बयान दिया है कि कार की पिछली सीट पर बैठे मोटे आदमी को कार के अंदर से पकड़ा गया था।

21. कानून की प्रासंगिक धाराओं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिकथित न्यायिक पूर्व निर्णयों के प्रकाश में अभियोजन पक्ष के साक्ष्य का मूल्यांकन करते हुए, यह न्यायालय इस प्रकार पाया है कि अभि.सा. -1 यानी अभियोक्त्री ने विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष अपने मुख्य परीक्षण में यह गवाही दी है कि एक दिन जब वह अपने माता-पिता, दो भाईयों और एक बहन के साथ राजस्थान से आई थी और अपनी मां और भाई-बहनों के साथ हनुमान मंदिर के पास बैठी थी, उसके पिता अकेले प्रार्थना करने के लिए मंदिर के अंदर गए थे। अभियोक्त्री भी अपने पिता को छोड़कर अपने परिवार के सदस्यों के साथ हनुमान मंदिर से 10 से 12 फीट की दूरी पर स्कूल के पास बैठी थी। इसके बाद, एक मारुति ज़ेन कार उसके बगल में आकर रुकी और चालक ने अप्रत्याशित रूप से सामने का बायां दरवाजा खोला और उसे जबरदस्ती वाहन के अंदर खींच लिया। उसकी गवाही के अनुसार, एक तगड़ा व्यक्ति यानी वर्तमान अपीलार्थी कार की पिछली सीट पर था। अभियोक्त्री को अभियुक्त द्वारा अपहरण कर लिया गया था और उसे पास के जंगल में ले जाया गया था, जहां अभियुक्तों में से एक, यानी

अपीलार्थी ने उसका यौन उत्पीड़न किया था, जबकि अन्य अभियुक्त ने कार चलाई थी। उसने बताया था कि कैसे चालक/अभियुक्त ने वाहन में जबरन प्रवेश के दौरान उसके मुंह पर अपना हाथ रखा था और जब उत्पीड़न हो रहा था तो वह कार चलाता रहा। अभियोक्त्री ने आगे गवाही दी कि बलात्कार तब किया गया था जब कार चल रही थी। बलात्कार करने के बाद, अभियोक्ता को आरोपी व्यक्तियों द्वारा जंगल में छोड़ दिया गया था। हालांकि, उसने गवाही के आगे के हिस्से में कहा कि उसका यौन उत्पीड़न किया गया था और उसे उस जगह से कुछ दूरी पर छोड़ दिया गया था जहां उसे शुरू में अपहरण किया गया था। इसके बाद वह वापस लौटी और अपने परिवार के सदस्यों को पाया और तुरंत अपने पिता को यौन उत्पीड़न के बारे में सूचित किया। उसके पिता ने इसके बाद पुलिस को फोन किया और घटना की सूचना दी। जब पुलिस आई, अभियोजन पक्ष उन्हें उस स्थान पर ले गया जहां अभियुक्तों का वाहन खड़ा था। दोनों अभियुक्त उस समय वाहन में थे और पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया।

22. हालांकि, अपने प्रति-परीक्षण में उसने कहा कि वह अपनी मां, दो भाइयों और एक बहन के साथ एक सरकारी स्कूल के पास बैठी थी। इस बीच उसके पिता मंदिर गए हुए थे। अचानक, एक कार उसके पास आई और चालक ने उसे बाएं सामने के दरवाजे से अंदर खींच लिया और इस प्रक्रिया में अभियोक्त्री ने मदद के लिए चिल्लाया भी था लेकिन चालक/अभियुक्त ने तब उसके मुंह पर अपना हाथ रखा

था। इसके बाद कुछ देर बाद एक अभियुक्त कार से उतरा और उसके साथ 'गलत काम' किया। जब वह वापस आई और अपने पिता को सूचित किया, तो उसके पिता तुरंत उसे पुलिस थाने ले गए जहां उसे चिकित्सकीय जांच के लिए भेजा गया और एक अभियुक्त यानी याचिकाकर्ता को उसकी उपस्थिति में दोपहर में गिरफ्तार कर लिया गया। अभियोक्त्री ने आगे कहा है कि प्रति-परीक्षण के अनुसार पुलिस को दिए गए उसके बयान में कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने अपनी पैंट और उसके कपड़े उतार दिए थे और फिर उसके साथ बलात्कार किया था। हालांकि, न ही दं.प्र.सं. की धारा 161 या 164 के तहत दर्ज बयानों में और न ही मुख्य परीक्षण में भी पहले से इस बात का उल्लेख किया गया था।

23. जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, गवाही के अवलोकन के बाद, यह स्पष्ट है कि अभियोक्त्री ने यौन उत्पीड़न के तरीके के बारे में कई विरोधाभासी बयान दिए थे। अभिलेख से यह भी पता चलता है कि न्यायालय में दर्ज अपनी गवाही में, उसने कहा है कि वह अपने दो भाइयों और बहनों और अपने माता-पिता के साथ दिल्ली आई थी और वे सभी स्कूल के बाहर बैठे थे, जो हनुमान मंदिर के पास है। यह उसका मामला है कि जब उसके पिता अकेले पूजा करने के लिए मंदिर गए थे, वह अपनी मां और चार भाई-बहनों के साथ स्कूल के बाहर अपने सामान के साथ बैठी थी। हालांकि, जांच के साथ-साथ पूरी गवाही इस बात पर चुप है और यह अस्पष्ट है कि, जब उनकी बेटी को उनके सामने कार के अंदर खींचा जा रहा था तब क्यों

उसकी मां और चार भाई-बहनों ने शोर नहीं मचाया, उसे बचाने की कोशिश की, पुलिस को सूचित किया, या स्कूल अधिकारियों से मदद लेने के लिए शोर क्यों नहीं किया। अभियोक्त्री की गवाही स्वयं इस पहलू पर चुप है। यह मां और भाई-बहनों का अप्राकृतिक आचरण है। हालांकि, उसकी मां की आगे की गवाही खुद अभियोक्त्री के दावे को भी झुठलाती है, जो कहानी का एक और संस्करण देती है।

24. अभियोक्त्री की मां अभि.सा.-2 की गवाही के सावधानीपूर्वक अवलोकन से पता चलता है कि उसने कहा था कि वह और उसका परिवार दिल्ली आने से पहले राजस्थान गया था और एक स्कूल के पास अपना सामान छोड़ दिया था। वह और उसका पति अपने बच्चों को छोड़कर हनुमान मंदिर गए थे। उस स्थान पर लौटने पर, उन्हें पता चला कि उनका सामान पीछे छूट गया था, और उनकी बेटी गायब थी। दंपति ने पास के स्कूल में शिक्षकों और छात्रों से पूछताछ की थी, जिन्होंने कहा कि अभियोक्त्री को पहले उस क्षेत्र में देखा गया था, लेकिन तब से वह गायब हो गई थि। दंपति मंदिर लौट आए और कुछ समय बाद, अभियोक्त्री को स्कूल की विपरीत दिशा से आते देखा और अभियोक्त्री ने सूचित किया था कि वह सामान के पास बैठी थी जब एक सफेद कार में दो व्यक्तियों ने उसका अपहरण कर लिया और उसका यौन उत्पीड़न किया। यह गवाही बाकी भाई-बहनों के बारे में एक शब्द भी नहीं कहती है।

25. हमले के बाद, अभियोक्त्री के पिता ने पूछा कि क्या वह अपराधियों और उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए वाहन की पहचान कर सकती है। उसने पुष्टि की कि वह उन्हें पहचान सकती है और अपने पिता को उस गली की ओर ले गई थी जहां अपराध को अंजाम देने में इस्तेमाल की गई उक्त कार पार्क की गई थी। थोड़ी देर बाद, उन्होंने वाहन का पता लगा लिया, और अभियोक्त्री इसकी पहचान करने में सक्षम थी। कार के अंदर दो व्यक्ति मौजूद थे, और अभियोक्त्री ने उन्हें अभियुक्तों के रूप में पहचाना था। इसके बाद, अभियोक्त्री के पिता ने तुरंत पुलिस को फोन किया और आरोपियों को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी के बाद बयान दर्ज किए थे।

26. इस प्रकार, जैसा कि पिछले अनुच्छेद में चर्चा की गई है, अभि.सा.-2 के रूप में परीक्षित अभियोक्त्री की मां ने पूरी घटना का एक अलग संस्करण दिया है और कहा है कि जब उनकी बेटी का अपहरण किया गया था तो वह घटनास्थल पर मौजूद नहीं थी और वह अपने पति के साथ मंदिर गई थी। वह कथित स्थान पर अभियोक्त्री के साथ अपने चार अन्य बच्चों को छोड़े जाने के बारे में भी बात नहीं करती है, हालांकि उसने कहा कि वह अपने पति और बच्चों के साथ राजस्थान के एक मंदिर में दर्शन करने के बाद दिल्ली आई थी। अभि.सा.-1 और अभि.सा.-2 के बयान में एक अन्य पहलू पर भी बड़ी विसंगतियां हैं कि अभि.सा.-1 ने कहा था कि

जब वह उस स्थान पर वापस आई थी, जहां से उसका कथित तौर पर अपहरण किया गया था, तो उसने अपने पिता को घटना के बारे में बताया था, जिन्होंने पुलिस को फोन किया था और उसके बाद वह अपने माता-पिता और पुलिस के साथ यौन उत्पीड़न के स्थान को इंगित करने गई थी। हालांकि, अभियोक्त्री की मां अभि.सा.-2 ने एक अलग कहानी बतायी है और कहा है कि अभियोक्त्री ने उसे और उसके पति को घटना के बारे में बताया था और उसके पति ने अभियोक्त्री से पूछा था कि क्या वह अभियुक्तों और कार की पहचान कर पाएगी, उसने सकारात्मक जवाब दिया था और इसलिए, वे खुद अभियुक्तों और कार की तलाश में गए थे। यह उसकी कहानी यह है कि जब वे 'गली' के अंदर गए थे, तो उन्हें अपराध में इस्तेमाल की गई कार मिली थी और दोनों अभियुक्त व्यक्ति कार में बैठे थे और अभियोक्त्री द्वारा पहचान होने पर, पुलिस को बुलाया गया था।

27. यह भी स्पष्ट नहीं है कि अभियोक्त्री का पिता, जिसने कथित तौर पर पुलिस से संपर्क किया था और अभियुक्त व्यक्तियों की गिरफ्तारी का गवाह थे और जेन कार की बरामदगी का गवाह था, से पूछताछ क्यों नहीं की गई या गवाह के रूप में उद्धृत क्यों नहीं किया गया।

28. पीड़िता की मां, अभि.सा.-2 ने गवाही दी है कि स्कूल के पास मंदिर से लौटने पर, उन्होंने छात्रों और शिक्षकों से उनकी बेटी के ठिकाने के बारे में पूछताछ की थी। यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि उपरोक्त व्यक्तियों में से किसी को भी

वर्तमान मामले में गवाही देने के लिए नहीं बुलाया गया था। इसके अलावा, अभियोक्त्री के भाई-बहनों को भी गवाह के रूप में पेश नहीं किया गया था। कथित घटना के आसपास की परिस्थितियों पर ध्यान दिया जाना चाहिए क्योंकि वे बहुत महत्वपूर्ण हैं। घटना का समय एक कार्य दिवस पर लगभग अपराह्न 1:00 बजे था, जिससे पता चलता है कि वह स्थान शिक्षकों और छात्रों की उपस्थिति के साथ ही चहल-पहल से भरा होगा। इसके बावजूद, यह अस्पष्ट है कि अभियोक्त्री को कथित तौर पर उसकी मां, भाई-बहनों, शिक्षकों और छात्रों की उपस्थिति में स्कूल के बाहर से, बिना किसी हंगामे या खलबली के, अपहरण कर लिया गया था। न तो गवाहों और न ही अभियोजन पक्ष ने इस पहलू पर संतोषजनक स्पष्टीकरण दिया है।

29. अभियोक्त्री ने गवाही दी है कि चलती कार के अंदर दो व्यक्तियों द्वारा लगभग दो घंटे तक उसका यौन उत्पीड़न किया गया था। हालांकि यह आवश्यक नहीं है कि यौन उत्पीड़न के शिकार व्यक्ति पर शारीरिक चोटें पाई जाएं, वर्तमान मामले की परिस्थितियों को देखते हुए जहां 12 से 14 वर्ष की आयु की एक युवा लड़की का कथित तौर पर दो व्यक्तियों द्वारा उत्पीड़न किया गया है, जिनमें से एक जिसे शारीरिक रूप से तगड़ा बताया गया था, यह आश्चर्य की बात है कि चलती कार में लंबे समय तक हमले के बावजूद, जननांग क्षेत्र सहित उसके शरीर के किसी भी हिस्से पर कोई चोट नहीं है।

30. स्थापित कानूनी सिद्धांतों के अनुसार, अभियोक्त्री की गवाही, यदि विश्वसनीय पाई जाती है, तो बलात्कार के मामले में दोषसिद्धि का आधार बन सकती है। हालांकि, इसे विश्वसनीय और सुसंगत पाया जाना चाहिए। दोषसिद्धि के लिए पुष्टि एक अनिवार्य आवश्यकता नहीं है, और पुष्टि की अनुपस्थिति के बावजूद यौन उत्पीड़न पीड़ित की गवाही एक घायल गवाह की गवाही के बराबर है। जब तक ऐसी परिस्थितियां नहीं होती हैं जो पीड़ित की गवाही को विश्वसनीयता के योग्य नहीं बनाती हैं, तब तक चिकित्सकीय साक्ष्य को छोड़कर, जहां इस दिए गए मामले में इसके सामने आने की उम्मीद है, पुष्टि पर जोर देने का कोई कारण नहीं है। हालांकि, दोषसिद्धि का आधार बनने वाली गवाही को बेदाग होना चाहिए।

31. इस न्यायालय ने यह भी पाया है कि दिनांक 24.08.2008 की अभियोक्त्री की एमएलसी यानी प्र.अभि.सा.-5/ए और अभि.सा.-5, जिस डॉक्टर ने अभियोक्त्री की चिकित्सकीय जांच की थी, की गवाही, में कहा गया था कि उसकी उम्र की लड़कियों को जननांग क्षेत्र में संकुलन होगा यदि उनके साथ दो या अधिक घंटे तक बलात्कार किया जाता है। तथापि, वर्तमान मामले में यह सुझाव देने के लिए कोई संकुलन नहीं है कि अभियोक्त्री को संभोग करने के लिए बाध्य किया गया था।

32. गवाहों की गवाही में अतिरिक्त विसंगतियां मौजूद हैं। विशेष रूप से, अभियोक्त्री ने कहा कि कार के चालक ने बाएं दरवाजे को खोला, उसके मुंह को ढंक दिया, और उसे कार में खींच लिया। हालांकि, यह स्वीकार करना मुश्किल है

क्योंकि चलती कार में, चालक के लिए बाईं ओर का सामने का दरवाजा खोलना, उसका मुंह ढंकना और उसे जबरदस्ती अंदर खींचना असंभव होगा, विशेष रूप से यह देखते हुए कि उसकी मां और भाई-बहन घटनास्थल पर मौजूद थे।

33. इसके अलावा, अभियोक्त्री ने गवाही दी कि चलती कार की पिछली सीट पर बैठे व्यक्ति द्वारा उसका यौन उत्पीड़न किया गया था। हालांकि, उसने यह नहीं बताया कि वह पीछे की सीट पर कैसे पहुंची, जबकि कार अभी भी चल रही थी। यह ध्यान देने योग्य है कि अभियोक्त्री को उसी स्थान पर छोड़ दिया गया था जहां से उसका शुरू में अपहरण किया गया था। अभियोक्त्री के अपने विवरण के अनुसार, उसका उसकी मां और तीन भाई-बहनों की उपस्थिति में अपहरण कर लिया गया था। इसलिए, यह मानना स्वाभाविक है कि उसके परिवार के सदस्यों ने कार का पीछा किया होगा, शोर मचाया होगा, पुलिस को सूचित किया होगा, और अपनी बेटी की तलाश की होगी। इसके अतिरिक्त, यह सुझाव देने के लिए कोई साक्ष्य नहीं हैं कि परिवार के सदस्यों ने ऐसी कोई कार्रवाही की।

34. कथित अपहरण का स्थान एक चहल-पहल भरा सरकारी स्कूल के आस-पास का क्षेत्र था, जिसमें स्कूल बसों सहित कई माता-पिता और वाहन दोपहर लगभग 1:00 बजे बच्चों को लेने के लिए मौजूद थे। इलाके की व्यस्त प्रकृति को देखते हुए, यह असंभव लगता है कि अपहरण की ओर आसपास के लोगों का ध्यान नहीं गया होगा। इसके अलावा, यह तथ्य कि अपहरण कथित तौर पर अभियोक्त्री के

परिवार की उपस्थिति में हुआ था और फिर भी कोई शोर नहीं मचाया गया था, यह अभियोजन पक्ष के घटनाओं के संस्करण के बारे में और संदेह पैदा करता है।

35. अभियोक्त्री ने गवाही दी कि उसका दोपहर 1:00 बजे के आसपास अपहरण कर लिया गया था और दो घंटे बाद रिहा कर दिया गया था। हालांकि, डीडी सं. 25ए (प्रदर्श अभि.सा.7/ए) के अनुसार, जिसे अभियोक्त्री और उसके पिता द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर दर्ज किया गया था, घटना की सूचना लगभग अपराह्न 1:30 बजे दी गई थी।

36. कार की सीट पर वीर्य के कोई धब्बे नहीं पाए गए, जिसे अभियोक्त्री और अन्य गवाहों के बयान के अनुसार प्रश्नगत अपराध की सूचना देने के कुछ ही मिनटों के भीतर जब्त कर लिया गया था।

37. अभि.सा.-7 एच.सी. महेंद्र सिंह, घटना के समय ड्यूटी पर तैनात ड्यूटी अधिकारी ने अपनी गवाही में कहा कि उन्हें 24.08.2008 को अपराह्न 1:30 बजे पीसीआर से घटना के बारे में एक संदेश मिला था, जिसे डीडी सं. 25ए के रूप में प्रलेखित किया गया था और प्र.आभि.सा.-7/ए के तहत साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया था।

38. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों की जांच करने के बाद, इस न्यायालय का विचार है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को, उपरोक्त कारकों

पर उचित विचार किए बिना, दोषी ठहराया गया था। अभियोक्त्री की गवाही कई ठोस विसंगतियों और विरोधाभासों से ग्रस्त है। इसके अलावा, चिकित्सकीय साक्ष्य और डॉक्टर की गवाही यह संकेत नहीं देते हैं कि जबरन संभोग के कोई संकेत थे या नहीं।

39. अभिलेख पर मौजूद सामग्री की समग्रता और इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय के लिए विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए निष्कर्ष से सहमत होना संभव नहीं है।

40. **हालांकि, इस मामले का निपटान करने से पहले, यह न्यायालय कुछ परेशान करने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान देने के लिए विवश है जो मामले के अभिलेख से स्पष्ट हैं।**

41. विचारण नयायाल्य के अभिलेख के अवलोकन से पता चलता है कि 19.12.2009 को, विद्वान विचारण न्यायालय ने बचाव पक्ष के गवाहों को तलब करने के आवेदन को, इसकी एक प्रति राज्य के विद्वान अतिरिक्त लोक अभियोजक को प्रदान किए जाने के उपरांत, अनुमति प्रदान करने की कृपा की थी। एक आदेश पारित किया गया कि दायर आवेदन और आवेदन में उल्लिखित गवाहों को देखते हुए, विद्वान विचारण न्यायालय आवेदन को अनुमति दे रहा था, यह न्यायालय यह मान लेता है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने इस तरह से दायर आवेदन को देखा होगा और उसके बाद ही आवेदन को अनुमति दी होगी। बचाव

पक्ष के गवाहों को बुलाने के लिए आवेदन ने स्वयं ही विद्वान विचारण न्यायालय को दर्शाया होगा कि बचाव पक्ष के गवाह के रूप में बुलाए जाने वाले गवाह वह परामर्शदाता थे जिन्होंने अभियोक्त्री को परामर्श दिया था जो प्रासंगिक समय पर केवल 12 वर्ष की आयु की थी|

42. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के अनुसार, एक अभियुक्त का अपने बचाव में साक्ष्य प्रस्तुत करने का अधिकार निष्पक्ष सुनवाई के लिए एक महत्वपूर्ण अधिकार है जिससे उसे वंचित नहीं किया जा सकता है। दं.प्र.सं. की धारा 233 अभियुक्त को अपना बचाव करने और अपने बचाव के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए बुलाने की प्रक्रिया का प्रावधान करता है। यह प्रावधान इस प्रकार हैः

> "233. प्रतिरक्षा आरंभ करना|
>
> (1) जहां अभियुक्त धारा 232 के अधीन दोषमुक्त नहीं किया जाता है वहां उससे अपेक्षा की जाएगी कि अपनी प्रतिरक्षा आरंभ करे और कोई भी साक्ष्य जो उसके समर्थन में उसके पास हो पेश करे।
>
> (2) यदि अभियुक्त कोई लिखित कथन देता है तो न्यायाधीश उसे अभिलेख में फाइल करेगा।
>
> (3) यदि अभियुक्त किसी साक्षी को हाजिर होने या कोई दस्तावेज या चीज पेश करने को विवश करने के लिए कोई आदेशिका जारी करने के लिए आवेदन करता है तो न्यायाधीश ऐसी आदेशिका जारी करेगा जब तक उसका ऐसे कारणों से, जो

> लेखबद्ध किए जाए यह विचार न हो कि आवेदन इस आधार पर नामंजूर कर दिया जाना चाहिए कि वह तंग करने या विलंब करने या न्याय के उद्देश्यों विफल करने के प्रयोजन से किया गया है|"

43. दं.प्र.सं. की धारा 233(3) के अनुसार, चूंकि न्यायालय कार्यवाही का स्वामी है, इसलिए वह यह निर्णय ले सकता है कि अभियुक्त द्वारा दायर आवेदन प्रामाणिक है या नहीं या क्या वह प्रासंगिक सामग्री अभिलेख पर लाने का इरादा रखता है। इसलिए, दं.प्र.सं. की धारा 233(3) के तहत, एक न्यायालय इस आधार पर प्रक्रिया जारी करने से इनकार कर सकती है कि आवेदन परेशान करने वाला है या न्याय के उद्देश्यों में देरी या पराजय के उद्देश्य से किया गया है, और इस तरह के आधार को माननीय विचारण न्यायालय द्वारा लिखित रूप में दर्ज किया जाना है।

44. विचारण न्यायालय के अभिलेख से ऐसा प्रतीत होता है कि बचाव पक्ष के गवाहों को उनके नाम का उल्लेख करने के अलावा किस उद्देश्य के लिए बुलाया जा रहा था, इस बारे में बचाव पक्ष के साक्ष्य के लिए दायर आवेदन में कोई कारण नहीं बताया गया था। यह भी उल्लेख नहीं किया गया था कि किस गवाह द्वारा क्या साबित किया जाएगा, ताकि विद्वान विचारण न्यायालय को बचाव पक्ष

के गवाहों को बुलाने के लिए दायर आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करने में सक्षम बनाया जा सके।

45. चूंकि वर्तमान मामले में, विद्वान विचारण न्यायालय ने उल्लेख किया है कि उसने अभियुक्त की ओर से दायर आवेदन का अध्ययन किया था और उसी पर विचार करने के बाद ही इसकी अनुमति दी थी, इसलिए यह माना जा सकता है कि विद्वान विचारण न्यायालय को इस बात की जानकारी थी कि गवाह को किस क्षमता में या किस उद्देश्य के लिए बुलाया जा रहा था, हालांकि इसका उल्लेख प्रासंगिक आदेश में या इस संबंध में अभियुक्त द्वारा दायर आवेदन में नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में, यह न्यायालय यह जानने में असमर्थ है कि इस आदेश को पारित करते समय विद्वान न्यायाधीश के मस्तिष्क में क्या विचार रहा होगा जिन्होंने परामर्शदाता को बचाव पक्ष के गवाह के रूप में बुलाए जाने की अनुमति दी थी।

46. जो भी हो, यह न्यायालय कड़ी अस्वीकृति के साथ नोट करती है कि काउंसलर, जिसे संबंधित थानाध्यक्ष के अनुरोध पर विचाराधीन घटना के तुरंत बाद 12 वर्षीय यौन उत्पीड़न पीड़िता का परामर्श करने के लिए बुलाया गया था, को न केवल बचाव पक्ष के गवाह के रूप में परिक्षण की अनुमति दी गई थी, बल्कि परामर्श के बारे में गोपनीय रिपोर्ट को और काउंसलर और पीड़ित बच्चे के बीच

क्या हुआ था अभियुक्त द्वारा बचाव पक्ष के साक्ष्य के लिए दायर एक आवेदन के माध्यम से सार्वजनिक किया गया था।

47. जहाँ तक परामर्श रिपोर्ट प्र.ब.ग2/ए का संबंध है, इसमें उल्लेख किया गया है कि परामर्शदाता को थाना बवाना के थानाध्यक्ष द्वारा 15.06.2008 को एक श्री 'वाय' की परामर्श के लिए और उसके तीन बच्चे जो व्याकुल रूप से व्यवहार कर रहे थे, और बाद में सबसे बड़ी बेटी अर्थात अभियुक्त्री की परामर्श के लिए दिनांक 25.06.2008 को बुलाया गया था| इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि यह परामर्श गवाह का बयान दर्ज करने या उसका बयान दर्ज करने के लिए परामर्शदाता की सहायता लेने या जांच एजेंसी की सहायता करने के उद्देश्य से नहीं किया गया था, बल्कि बलात्कार की कथित घटना के बाद बेचैन पीड़िता को शांत करने के एकमात्र उद्देश्य से किया गया था।

48. **चूंकि प्रासंगिक समय पर अर्थात 2008-2010 वर्षों में पॉक्सो अधिनियम, 2012 अस्तित्व में नहीं था और मामले में अभियुक्त्री की आयु केवल 12 वर्ष थी, उनमें विद्वान विचारण न्यायालय का मार्गदर्शन तत्कालीन किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 द्वारा किया जाना था।** उक्त अधिनियम के अनुसार, जिस बच्चे को देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता है उसे

संबंधित थानाध्यक्ष द्वारा बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया जा सकता था।

48.1. **तत्कालीन जेजे अधिनियम**, 2000 की धारा 32 में निम्नलिखित प्रावधान किए गए थे:-

> "32. समिति के समक्ष पेश किया जाना-
> (1) देखरेख और संरक्षण के लिए जरूरतमंद किसी बालक को निम्नलिखित किसी व्यक्ति द्वारा समिति के समक्ष पेश किया जा सकेगा-
>
> (i) कोई पुलिस अधिकारी या विशेष किशोर पुलिस एकक या कोई पदाभिहित अधिकारी;
> (ii) कोई लोक सेवक;
> (iii) एक रजिस्ट्रीकृत स्वैच्छिक संगठन, चाइल्ड लाइन या ऐसे अन्य स्वैच्छिक संगठन या किसी अभिकरण द्वारा जिन्हें राज्य सरकार द्वारा मान्यता दी जाए;
> (iv) कोई सामाजिक कार्यकर्ता या लोक भावना से युक्त नागरिक; या
> (v) स्वयं बालक द्वारा|
>
> (2) राज्य सरकार के जांच के लंबित रहने के दौरान समिति को रिपोर्ट देने की रीति का और बालक को बालगृह में भेजने और सौंपने की रीति का उपबंध करने के लिए इस अधिनियम से संगत नियम बना सकेगी|"

48.2. इसके अलावा, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2007 भी गोपनीयता के सिद्धांत पर प्रकाश डालते हुए, निम्नानुसार प्रदान किया गया है:-

> " अध्याय-II
>
> * * *
>
> 3. XI. निजता के अधिकार का सिद्धांत और गोपनीयता
>
> * * *
>
> किशोर या बच्चे के निजता और गोपनीयता के अधिकार की हर माध्यम से और कार्यवाही के सभी चरणों और देखरेख और सुरक्षा प्रक्रियाओं के माध्यम से रक्षा की जानी चाहिए|"

49. वर्तमान मामले में पुलिस अधिकारी या जांच एजेंसी अभियोक्त्री को बाल कल्याण समिति को भेजने में विफल रही थी और संबंधित थानाध्यक्ष, अभियोजक एजेंसी के साथ-साथ अन्य बचाव पक्ष के गवाहों ने अभिलेख पर यह नहीं बताया कि किस प्रावधान के तहत परामर्शदाता को पूरे परिवार और उसके बाद अभियोक्त्री को परामर्श देने के लिए बुलाया गया था। अभिलेख भी गायब है। विद्वान विचारण न्यायालय भी इस मुद्दे पर कोई निष्कर्ष देने में विफल रहा।

50. विद्वान विचारण न्यायालय अभियोक्त्री की संवेदनशीलता और आगे के कष्ट और पीड़ा से सुरक्षा के सिद्धांत से बंधा था यह सुनिश्चित करके कि जो परामर्श हुआ था, वह मुख्य रूप से उसे शांत करने के लिए था क्योंकि वह बेचैन थी जैसा

कि जिन परिस्थितियों में वह थीं से समझा जा सकता है, परामर्शदाता की रिपोर्ट को बचाव पक्ष के साक्ष्य का और विचारण न्यायालय अभिलेख का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता था जो कि प्रासंगिक समय पर एक गोपनीय दस्तावेज और कार्यवाही थी।

51. ऐसी परिस्थितियाँ इस न्यायालय को लैटिन सिद्धांत का उल्लेख करने के लिए मजबूर करती हैं। *'क्वांडो अलिकुइड प्रोहिबिटर एक्स डायरेक्टो, प्रोहिबिटर एट पर तिर्यक'* जिसका अर्थ है कि जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता है, वह इस मामले में प्रमुख बचाव साक्ष्य की आड़ में अप्रत्यक्ष रूप से भी नहीं किया जाना चाहिए।

52. यह भी आश्चर्य की बात है कि प्रमुख बचाव साक्ष्य के मुकदमे के प्रासंगिक चरण तक पहुंचने से पहले ही, आरोपी के विद्वान अधिवक्ता के पास संबंधित थानाध्यक्ष के कहने पर हुई परामर्श की गोपनीय रिपोर्ट की एक प्रति थी जो केवल यौन उत्पीड़न की पीड़िता का समर्थन करने के उद्देश्य से थी।

53. अभियोक्त्री की प्रतिपरीक्षा के अवलोकन से यह भी पता चलता है कि उससे गोपनीय रिपोर्ट के बारे में बहुत सारे सवाल पूछे गए थे जिसमें उसने अपने पिता द्वारा कथित यौन शोषण का वर्णन किया था। इसके अलावा, इसका वर्तमान मामले से कोई लेना-देना नहीं था, इसलिए, सुझाव के रूप में यह प्रश्न कि

अभियोक्त्री अपने पिता के साथ शारीरिक संबंध बना रही थी, न केवल निंदनीय थे, बल्कि उन्हें किसी भी परिस्थिति में पूछे जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी। इस प्रतिपरीक्षा के प्रासंगिक भाग को निम्नानुसार अवतरित किया गया है:-

> "...यह कहना गलत है कि इस मामले विचाराधीन रहने के दौरान मैं 'X' (इस न्यायालय द्वारा नाम नहीं दर्शाया गया), निदेशक, स्वान चेतन सोसाइटी फॉर मेंटल हेल्थ से मिल रहीं हूं।
>
> मुझे 05.7.2008 पर उपरोक्त 'X' द्वारा नहीं बुलाया गया था। यह कहना गलत है कि 5.7.2008 को 'X' (इस न्यायालय द्वारा नाम नहीं दर्शाया गया) द्वारा मुझसे पूछा गया कि मैं उस दिन हंस रही थी जिस पर मैंने जवाब दिया कि मैं हंस रही थी क्योंकि मेरे पिता वहां मौजूद नहीं थे। यह कहना गलत है कि 'X' (इस न्यायालय द्वारा नाम नहीं दर्शाया गया) ने मुझसे पूछा कि मैं किस अवसर पर हंसती हूं और मैंने जवाब दिया कि मैं हर चीज पर हंसती हूँ। यह कहना गलत है कि 'X' (इस न्यायालय द्वारा नाम नहीं दर्शाया गया) ने मुझसे पूछा कि मैं पहले क्यों नहीं हंसती थी और मैंने जवाब दिया कि मैं पहले नहीं हंसती थी क्योंकि मेरे पिता मुझे पीटते थे। यह कहना गलत है कि 'X' (इस न्यायालय द्वारा नाम नहीं दर्शाया गया) ने मुझसे पूछा कि मेरे पिता मुझे क्यों

पीटते थे और मैंने जवाब दिया कि वह मुझे हर चीज पर पीटते थे। यह कहना गलत है कि 'X' (इस न्यायालय द्वारा नाम नहीं दर्शाया गया) ने मुझसे पूछा कि क्या मुझे मेरी माँ ने नहीं बचाया था और मैंने जवाब दिया कि मेरे पिता मेरी माँ को भी पीटते थे और वह घर से भाग गई थीं। यह सही है कि मेरी माँ वर्तमान में मेरे साथ नहीं रह रही हैं। यह कहना गलत है कि मैंने 'X' (इस न्यायालय द्वारा नाम नहीं दर्शाया गया) से कहा था कि जब भी मैं घर में अकेली होती थी तो मेरे पिता मुझे बुलाते थे और मेरे साथ 'गलत काम' करते थे और ऐसे अवसर पर मेरी मां ने भी इसे देखा था। यह कहना गलत है कि 'X' (इस न्यायालय द्वारा नाम नहीं दर्शाया गया) ने मुझसे पूछा कि मेरे पिता मेरे साथ 'गलत काम' कब करते थे और मैंने जवाब दिया कि जब अन्य सभी सो जाते थे तो वे 'गलत काम' करते थे। यह कहना गलत है कि मैंने 'X' (इस न्यायालय द्वारा नाम नहीं दर्शाया गया) को बताया है कि मेरे पिता ने मेरे साथ 'गलत काम' किया था और जब मैंने अपनी माँ को यह तथ्य बताया, तो मेरी माँ को भी मेरे पिता ने पीटा। यह सुझाव देना गलत होगा कि उपरोक्त सभी तथ्यों को मैंने 'X' (इस न्यायालय द्वारा नाम नहीं दर्शाया गया) को बताया था और उन्होंने उक्त तथ्यों को लिखित रूप में कम कर दिया था। यह कहना गलत है कि उपरोक्त तथ्यों को मुझे 'X' (इस न्यायालय द्वारा नाम नहीं दर्शाया गया) द्वारा पढ़ा गया था और उसके बाद मैंने उक्त कागजातों पर अपने अंगूठे

की छाप 05.7.2008 पर लगे थी। यह कहना गलत है कि दस्तावेज़ मार्क-X पर बिंदु-क पर मेरे अंगूठे का निशान नहीं है।

* * *

मेरे पिता मेरे साथ नहीं रहते हैं। यह सही है कि वर्तमान मामला दर्ज होने के बाद मेरे पिता के वर्तमान ठिकाने का पता नहीं है। मैं अपने माता-पिता की सबसे बड़ी संतान हूँ। यह कहना गलत है कि मुझे मेरे पिता और अन्य भाइयों और बहन के साथ 15.6.2008 पर परामर्श के लिए 'X' (इस न्यायालय द्वारा नाम नहीं दर्शाया गया) ले जाया गया था। यह सुझाव देना गलत है कि मेरे पिता मेरे साथ तब से शारीरिक संबंध बना रहे थे जब मैं 7-8 वर्ष की थी। यह कहना गलत है कि मैंने 'X' (इस न्यायालय द्वारा नाम नहीं दर्शाया गया) को बताया था कि मेरे पिता ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैं किसी को मेरे साथ शारीरिक संबंधों के बारे में बताती हूं तो मुझे जान से मार दिया जाएगा। यह कहना गलत है कि जब मैं उसके साथ यौन संबंध बनाने से इनकार करती थी तो मेरे पिता मुझे पीटते थे। यह कहना गलत है कि मेरे पिता द्वारा मुझे दी गई पिटाई के कारण मेरे भाई-बहन अवसाद में रहते थे। यह कहना गलत है कि मैंने शारीरिक संबंधों के द्वंद् को अपने पिता के डर के बारे में उपरोक्त तथ्य का खुलासा नहीं किया था। यह कहना गलत है कि 24.4.2008 को मेरे पिता ने मेरे साथ बलात्कार किया और उन्होंने मुझसे आरोपी

व्यक्तियों से पैसे वसूलने के लिए गलत तरीके से फंसाने के लिए कहा। यह कहना गलत है कि इसके बाद मेरे पिता 'X' (इस न्यायालय द्वारा नाम नहीं दर्शाया गया) से परामर्श से भाग गए थे। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि क्या 'X' (इस न्यायालय द्वारा नाम नहीं दर्शाया गया) द्वारा मेरे पिता के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की सिफारिश की थी या नहीं। यह सही है कि मेरे पिता स्वेच्छा से घर से भाग गए हैं, वे पुलिस अधिकारियों द्वारा दी गई पिटाई के कारण भाग गए। यह कहना गलत है कि 'X' (इस न्यायालय द्वारा नाम नहीं दर्शाया गया) की परामर्श रिपोर्ट की प्रति मार्क-'Y' है।

* * *

यह कहना गलत है कि मैंने अपने पिता के कहने पर इस मामले में आरोपी व्यक्तियों को शामिल किया है। यह कहना गलत है कि वर्तमान मामले में मेरे पिता द्वारा आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ धन उगाही के लिए बनाया गया है।

54. विद्वान विचारण न्यायालय को न केवल उन प्रश्नों को अस्वीकार करना चाहिए था जो उसके समक्ष मामले के लिए प्रासंगिक नहीं थे बल्कि इस बात हेतु भी सतर्क रहना चाहिए था कि अभियोक्त्री के परामर्श के संबंध में परामर्शदाता की गोपनीय रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी। इस मामले में गोपनीय रिपोर्ट को न केवल अभिलेख पर लाया गया था, बल्कि इस मामले में काउंसलर से भी परीक्षण और प्रति-परीक्षण किया गया था जिसकी न तो

आवश्यकता थी और न ही वर्ष 2010 में कानूनी रूप से अनुमति दी गई थी। विद्वान विचारण न्यायालय भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 152 के प्रावधानों का भी सहारा लिया है जो निम्नानुसार प्रदान करता है:-

> 152. अपमानित या क्षुब्ध करने के लिए आशियत प्रश्न- न्यायालय ऐसे प्रश्न का निषेध करेगा, जो उसे ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपमानित या क्षुब्ध करने के लिए आशयित है, या जो यद्यपि स्वयं में उचित है, तथापि रूप में न्यायालय को ऐसा प्रतीत होता है कि वह अनावश्यक तौर पर संतापकारी है|"

55. विचारण न्यायालय दं.प्र.सं. की धारा 233 या दं.प्र.सं. की धारा 243 के तहत गवाहों को बुलाती हैं अगर मेजिस्ट्रेट द्वारा विचारण का मामला हो, तो कानून के प्रासंगिक उपबंधों को ध्यान में रखते हुए और यह ध्यान देते हुए कि बचाव पक्ष के गवाहों को किस उद्देश्य के लिए बुलाया जा रहा है सावधानी के साथ आदेश पारित करना होगा और क्या वे वर्तमान मामले के तथ्यों के लिए प्रासंगिक हैं और मामले के न्यायसंगत निर्णय तक पहुंचने के लिए ध्यान देना होगा| यह न्यायालय दं.प्र.सं. की धारा 233 या 243 के तहत आवेदनों पर निर्णय लेने में विचारण न्यायालयों की शक्तियों को कम नहीं कर रहा है, परन्तु न्यायालय मूक दर्शक नहीं हो सकता है, विशेष रूप से यौन उत्पीड़न के मामलों में और उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि गवाह और बचाव साक्ष्य के रूप में लाई

गई सामग्री अफसोसजनक या अप्रासंगिक नहीं है, इस हद तक कि प्रश्नगत विवाद से अप्रासंगिक मामलों की गोपनीयता का उल्लंघन हो या उत्पीड़न हो रहा हो।

56. विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष मौजूद विशेष मामले में, प्रासंगिक समय पर भी, जैसा कि इस न्यायालय ने पहले ही चर्चा की है, विचारण न्यायालय संवेदनशीलता के साथ परीक्षण करने के अपने कर्तव्य से बाध्य था| हालाँकि, इस मामले में, काउंसलर की गोपनीय रिपोर्ट को न केवल अभिलेख पर लाने की अनुमति दी गई है, बल्कि बचाव पक्ष के अधिवक्ता को अभियोक्त्री के बहुत ही दुखद आंतरिक उथल-पुथल और दुर्भाग्यपूर्ण जीवन के बारे में कई प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई थी जिसका अभिकथित रूप से अपने पिता द्वारा यौन शोषण किया गया, हालांकि बाद में उसने उक्त दावे का खंडन किया और कहा कि उसने कभी भी यह बयान नहीं दिया था।

57. यह न्यायालय स्वयं उस चिंता और असुविधा को महसूस करता है जो 12 वर्ष की आयु के बच्चे ने महसूस की होगी। यहां तक कि अगर उसके पिता उसका शोषण कर रहे थे, तो भी वह अपने पिता द्वारा पीटे जाने के दबाव में थी। यह न्यायालय नहीं जान सकता कि किन परिस्थितियों में उसने बाद में आरोपों से इनकार किया था और क्या ऐसे आरोप वास्तव में काउंसलर के सामने पहले लगाए गए थे या नहीं। न्यायालय के समक्ष उसकी गवाही में, जो बात इस न्यायालय की

अंतरात्मा को विचलित करती है वह यह है कि उसके पिता द्वारा उसका यौन शोषण, यदि कोई हो, जो कथित परामर्श सत्र का विषय था वास्तव में उसके दुखद जीवन और उस पीड़ा की अभिव्यक्ति थी जिसका वह विश्वास के अंतर्गत काउंसलर को खुलासा कर रही थी और जिसे किसी भी परिस्थिति में काउंसलर परिक्षण और प्रतिपरीक्षण के माध्यम से सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए था और काउंसलर की रिपोर्ट को अभियोक्त्री के समक्ष रखा जाना चाहिए था।

58. भारत ने देश में कमजोर गवाहों की सुरक्षा और जाँच के संबंध में एक लंबा सफर तय किया है, विशेष रूप से पॉक्सो अधिनियम, 2012 और 2012 के नियमों के अधिनियमन के साथ-साथ इसके तहत बनाए गए दिशानिर्देशों के साथ।

59. हालाँकि, पॉक्सो अधिनियम के अधिनियमन और उसके बाद के न्यायिक पूर्वनिर्णय से पहले भी, बाल बलात्कार पीड़िता जैसे अतिसंवेदनशील गवाहों के परिक्षण के लिए एक सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के साथ-साथ इस न्यायालय की ओर से अतीत में प्रयास किए गए थे।

60. ***पंजाब राज्य बनाम गुरमीत सिंह*** (1996) *2 एससीसी 384*, में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कैमरे के महत्व को रेखांकित करते हुए कार्यवाही और यौन उत्पीड़न की पीड़ित की पहचान की रक्षा करने के लिए कई दिशानिर्देश निर्धारित किए गए थे।

61. इसके अलावा, साक्षी बनाम भारत संघ (2004) 5 एससीसी 518 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बाल बलात्कार पीड़ितों के संबंध में निम्नलिखित दिशा-निर्देश निर्धारित जारी किए थे। इन्हें निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

> "34. तदनुसार रिट याचिका का निपटारा निम्नलिखित निर्देशों के साथ किया जाता हैः
>
> (1) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 327 की उप-धारा (2) के प्रावधान, उप-धारा में उल्लिखित अपराधों के अलावा, भारतीय दंड संहिता की धारा 354 और 377 के तहत अपराधों की जांच या मुकदमे में भी लागू होंगे।
>
> (2) बाल यौन शोषण या बलात्कार का मुकदमा चलाने में:
>
> (i) एक पर्दा या कुछ ऐसी व्यवस्था की जा सकती है जहां पीड़ित या गवाह (जो पीड़ित की तरह समान रूप से कमजोर हो सकते हैं) आरोपी के शरीर या चेहरे को नहीं देखते हैं;
>
> (ii) अभियुक्त की ओर से जिरह/प्रतिपरीक्षण में रखे गए प्रश्न, जहां तक वे सीधे घटना से संबंधित हैं, अदालत के पीठासीन अधिकारी को लिखित रूप में दिए जाने चाहिए जो उन्हें पीड़ित या गवाहों के सामने ऐसी भाषा में रख सकते हैं जो स्पष्ट हो और शर्मनाक न हो।

(iii) बाल उत्पीड़न या बलात्कार की पीड़ित को अदालत में गवाही देते समय आवश्यकता पड़ने पर पर्याप्त अवकाश की अनुमति दी जानी चाहिए।

ये निर्देश पंजाब राज्य बनाम गुरमीत सिंह, में दिए गए निर्देशों के अतिरिक्त हैं।"

62. *विरेन्द्र बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य 2009 एससीसी ऑनलाइन डेल 4413* मामले में इस न्यायालय ने बाल पीड़ित या बाल गवाह की जांच के संबंध में दिशानिर्देश भी जारी किए थे। इन दिशानिर्देशों के प्रासंगिक भाग को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

"IV <u>न्यायालय</u>

(i) बाल अनुकूल वातावरण बनाने के लिए न्यायालय परिसर के भीतर अलग कमरे उपलब्ध कराए जाएं जहां पीड़ित बच्चे का बयान दर्ज किया जा सके। (संदर्भः अपने स्वयं के प्रस्ताव पर न्यायालय बनाम राज्य)

(ii) पीड़ित या गवाह की किसी भी अक्षमता के मामले में जिसमें संचार कौशल शामिल है या खराब हो रहा है, एक स्वतंत्र व्यक्ति की सहायता अवश्य लेनी चाहिए जो ऐसी अक्षमता से संबंधित और संवाद करने की स्थिति में है।

(iii) बलात्कार के आरोपों की सुनवाई हमेशा "कैमरे के सामने" होनी चाहिए। इस संबंध में किसी अनुरोध की आवश्यकता नहीं है। (संदर्भः पंजाब राज्य बनाम गुरमीत सिंह)

(iv) समादेशिक/प्रतिबद्ध न्यायालय आरोपपत्र दाखिल किए जाने के पंद्रह दिनों के भीतर ऐसे मामलों को अधिमानतः/ विशेष रूप से सत्र न्यायालय को सौंपेगा। (संदर्भः (2007) 4 जेसीसी 2680 न्यायालय स्वयं के प्रस्ताव पर बनाम राज्य)

(v) बाल गवाह को अदालत कक्ष में उस स्थान से गवाही देने की अनुमति दी जानी चाहिए जो आम तौर पर अन्य गवाहों के लिए आरक्षित स्थान से अलग है।

(vi) पीड़ित बच्चे या गवाह के आघात को कम करने के लिए गवाही को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से या क्लोज सर्किट टेलीविजन के माध्यम से रिकॉर्ड किया जा सकता है। यदि यह संभव नहीं है, तो एक स्क्रीन या कुछ व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि पीड़ित या बाल गवाह को आरोपी के शरीर या चेहरे को नहीं देखना पड़े। बाल गवाह या पीड़ित की जाँच के लिए उपयोग की जाने वाली स्क्रीन/पर्दा प्रभावी होनी चाहिए और इस तरह से स्थापित की जानी चाहिए कि गवाह, गवाह के आचरण को नोटिस करने के लिए ट्रायल न्यायाधीश को दिखाई दे। एकल दृश्यता दर्पण का उपयोग किया जा सकता है जो बच्चे की संवेदनाओं की रक्षा करते हुए यह सुनिश्चित करेगा कि प्रतिवादी

का प्रतिपरीक्षा का अधिकार बाधित न हो। (संदर्भः साक्षी बनाम यू. ओ. आई)।

(vii) बाल गवाह की योग्यता का मूल्यांकन किया जाना चाहिए और उस पर आदेश दर्ज किया जाना चाहिए।

(viii) विचारण न्यायालय का भी संतुष्ट होना आवश्यक है और होना भी चाहिए। इसकी संतुष्टि दर्ज करने के लिए कि बाल गवाह गवाह बॉक्स में सच बोलने के दायित्व को समझता है। उपरोक्त के अलावा, अदालत को उस घटना के समय बच्चे की मानसिक क्षमता के बारे में संतुष्ट होना आवश्यक है जिसके बारे में उसे गवाही देनी है और साथ ही साथ उसके सटीक प्रभाव का पता करने की क्षमता भी होनी चाहिए। अदालत को संतुष्ट होना चाहिए कि बाल गवाह के पास घटना की स्वतंत्र स्मृति और शब्दों में या अन्यथा उसकी स्मृति को व्यक्त करने की क्षमता बनाए रखने के लिए पर्याप्त स्मृति है। अदालत को संतुष्ट होना होगा कि बाल गवाह के पास घटना के बारे में पूछे जाने वाले सरल प्रश्नों को समझने की क्षमता है। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि बाल गवाह के साक्ष्य के रिकॉर्ड में अदालत की ऐसी संतुष्टि होनी चाहिए।

(ix) जहाँ तक संभव हो, अदालत के आदेशों में अभियोक्त्री के नाम का खुलासा करने से बचें ताकि अपराध के पीड़ित को और अधिक शर्मिंदगी न हो; अपराध के पीड़ित की गुमनामी को यथासंभव बनाए रखा जाना चाहिए।

(x) बाल पीड़ित का बयान संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा तुरंत और जल्द से जल्द दर्ज किया जाएगा और किसी भी स्थगन से बचा जाएगा और यदि वह अपरिहार्य है, तो कारण लिखित रूप में दर्ज किए जाने चाहिए। (संदर्भः अपने स्वयं के प्रस्ताव पर न्यायालय बनाम एनसीटी दिल्ली राज्य)

(xi) अदालत को संतुष्ट/आश्वस्त होना चाहिए कि पीड़ित डरी हुई नहीं है और यह प्रकट करने में समर्थ, योग्य/सक्षम है कि उसके साथ क्या हुआ है जब उसकी गवाही दर्ज करने के दौरान उसकी जाँच की जाती है। अदालत को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चा सबूत के कुछ हिस्सों को इस कारण से नहीं छिपा रहा है कि वह अपने साथ हुई घटना से लज्जित या शर्मिंदा है।

(xii) यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पीड़ित/पीड़िता जो एक गवाह के रूप में पेश हो रही है, आसानी/सहजता से हो ताकि वह अपने साक्ष्य की गुणवत्ता में सुधार कर सके और उसे स्पष्ट रूप से गवाही देने में हिचकिचाहट पैदा करने में सक्षम बना सके ताकि घटना के विवरण में शर्मिंदगी/आकुलता और पीड़ित/पीड़िता द्वारा महसूस की जा रही शर्म के कारण सच्चाई छिपी न रहे।

(xiii) पीड़ित या बाल गवाह से ऐसे सवाल पूछे जाने चाहिए जो मामले से जुड़े नहीं हैं ताकि उसे सहज बनाया जा सके और बिना किसी डर या दबाव के गवाही दी जा सके।

(xiv) विचारण न्यायाधीश अनुमति दे सकता है, यदि वांछनीय समझा जाता है एक सामाजिक कार्यकर्ता या अन्य

दोस्ताना/मैत्रीपूर्ण, स्वतंत्र या तटस्थ वयस्क जिसमें बच्चे को गवाही देने वाले बच्चे का साथ देने का आत्मविश्वास होता है। (संदर्भ सुदेश जाखू बनाम के.सी.जे.) इसमें पीड़ित या बच्चे का समर्थन करने वाला विशेषज्ञ शामिल हो सकता है। गवाह जिस पर गवाह विश्वास विकसित करने में सक्षम है अपनी गवाही के दौरान हर समय बच्चे के लिए उपस्थित और पहुंच में, सुगम होने की अनुमति दी जानी चाहिए।इस बात का देखभाल जाना चाहिए कि ऐसा व्यक्ति बच्चे की गवाही को प्रभावित न करे।

(xv) सुनवाई के दौरान अदालत के अतिरिक्त कर्मचारियों सहित कार्यवाही के लिए अनावश्यक व्यक्तियों को अदालत कक्ष से बाहर रखा जाता है।

(xvi) जब तक कि आत्यंतिकत रूप से अनिवार्य न हो, बाल गवाह की बार-बार उपस्थिति को रोका जाना चाहिए।

(xvii) यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जिन प्रश्नों को प्रतिपरीक्षा में रखा जा रहा है, वे बलात्कार और यौन उत्पीड़न, पीड़ितों को शर्मिंदा या भ्रमित करने के लिए नहीं बनाए गए हैं (संदर्भः साक्षी बनाम यूओआई।

(xviii) अभियुक्त की ओर से प्रतिपरीक्षा में रखे जाने वाले प्रश्न, जहां तक वे सीधे अपराध से संबंधित हैं, न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को लिखित रूप में दिए जाने चाहिए जो उन्हें पीड़ित या गवाहों के सामने ऐसी भाषा में रख सकते हैं जो स्पष्ट हो और शर्मनाक न हो। (संदर्भः साक्षी बनाम यूओआई)

(xix) बाल गवाह के परीक्षण और प्रतिपरीक्षण की पीठासीन न्यायाधीश द्वारा सावधानीपूर्वक निगरानी की जानी चाहिए ताकि बाल गवाह को परेशान करने या डराने-धमकाने के किसी भी प्रयास से बचा जा सके।

(xx) यह न्यायालय का न्यायाधीश्तव्य/कर्तव्य है कि वह सत्य तक पहुंचे और न्याय के उद्देश्यों को अंत तक पूरा करे। अदालतों को मुकदमे में एक सहभागी भूमिका निभानी होगी और गवाहों द्वारा जो कुछ भी कहा जा रहा है उसे रिकॉर्ड करने के लिए केवल टेप रिकॉर्डर के रूप में कार्य नहीं करना होगा। न्यायाधीश को न्याय की सहायता के लिए कार्यवाही की निगरानी इस तरह से करनी होती है कि कुछ ऐसा, जो प्रासंगिक नहीं है, अनावश्यक रूप से रिकॉर्ड में नहीं लाया जाए। भले ही अभियोजक कुछ मायनों में लापरवाह हो, अदालत कार्यवाही को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकती है/कर सके। ताकि अंतिम उद्देश्य जो कि सत्य है, उस पर पहुंचा जा सके अदालत को अभियोजन एजेंसी की ओर से गंभीर नुकसान और कर्तव्य में लापरवाही के प्रति सचेत होना चाहिए। अभियोजन एजेंसी की उदासीनता दिखाने या अलगाव का रवैया अपनाने में विफलता पर, न्यायाधीश को साक्ष्य संग्रह प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाते हुए सभी आवश्यक सामग्रियों को प्राप्त करने के लिए साक्ष्य अधिनियम की खंड 165 और दंड प्रक्रिया संहिता की खंड 311 दं.प्र.सं. के तहत प्रदत्त विशाल शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए। (संदर्भः ज़हिरा हबीबुल्ला एच. शेख बनाम गुजरात राज्य)

(xxi) न्यायाधीश से अपेक्षा की जाती है कि वह मुकदमे में सक्रिय रूप से भाग लेगा, उचित संदर्भ में गवाहों से आवश्यक सामग्री प्राप्त करेगा जो वह सही निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए आवश्यक समझता है।न्यायाधीश के पास मुख्य परीक्षा या प्रतिपरीक्षा के दौरान या इस उद्देश्य के लिए पुनः परीक्षा के दौरान भी गवाह से सवाल पूछने की निर्बाध शक्ति है।यदि किसी न्यायाधीश को लगता है कि किसी गवाह ने कोई त्रुटि या चूक की है, तो यह पता लगाना न्यायाधीश का कर्तव्य है कि क्या ऐसा था, क्योंकि गलती करना मानवीय है और प्रतिपरीक्षा के दौरान घबराहट के तनाव में गलती की संभावना बढ़ सकती है।(संदर्भः(1997) 6 एससीसी 162: ए.आई.आर. 1997 एस.सी. 1023 (पैरा 12) राजस्थान राज्य बनाम अनी उपनाम हनीफ)

(xxii) न्यायालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कार्यवाही से संबंधित सभी लोगों की शर्मिंदगी और आपत्ति, जिसमें अभियोजक, गवाह, वकील शामिल हैं, के परिणामस्वरूप अपराध के घटकों को छिपाया जा सकता है।न्यायाधीश को इन कारकों के प्रति सचेत रहना होगा और शर्मिंदगी के कारण ऐसी किसी भी आपत्ति से ऊपर उठना होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे सच्चाई और वास्तविक कार्यों पर संदेह न करें जो अभियुक्त व्यक्तियों के लिए जिम्मेदार हैं।

(xxiii) अदालत को बयान दर्ज करने से पहले गवाह की बोली जाने

वाली भाषा के साथ-साथ शब्दावली की सीमा का पता लगाना

चाहिए।साक्ष्य का अभिलेख बनाते समय न्यायालय को दोषारोपण

अभियोजन एजेंसी द्वारा उदासीनता दिखाने या अलगाव का रवैया अपनाने में विफलता पर, न्यायाधीश को साक्ष्य अधिनियम की धारा 165 और दं.प्र.सं. की धारा 311 के तहत प्रदत्त विशाल शक्तियों का उपयोग करना चाहिए ताकि साक्ष्य एकत्र करने की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाकर सभी आवश्यक सामग्री प्राप्त की जा सके।) संदर्भ :जाहिरा हबीबुल्ला एच .शेख बनाम गुजरात राज्य(

(xxi) न्यायाधीश से अपेक्षा की जाती है कि वह मुकदमे में सक्रिय रूप से भाग ले, उचित संदर्भ में गवाहों से आवश्यक सामग्री प्राप्त करे जिसे वह सही निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए आवश्यक समझता है। न्यायाधीश के पास मुख्य जांच या प्रतिपरीक्षा के दौरान या इस उद्देश्य के लिए पुनः जांच के दौरान भी गवाह से सवाल पूछने की निर्बाध शक्ति है। यदि किसी न्यायाधीश को लगता है कि किसी गवाह ने कोई त्रुटि या चूक की है, तो यह पता लगाना न्यायाधीश का कर्तव्य है कि क्या ऐसा था, क्योंकि गलती करना मानवीय है और प्रतिपरीक्षा के दौरान घबराहट के तनाव में गलती की संभावना बढ़ सकती है। (संदर्भः(1997) 6 एससीसी 162: एआईआर 1997 एस.सी. 1023 (पैरा 12) राजस्थान राज्य बनाम अनी उपनाम हनीफ)

(xxii) न्यायालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कार्यवाही से संबंधित सभी लोगों की शर्मिंदगी और आपत्ति, जिसमें अभियोक्त्री, गवाह, अधिवक्ता शामिल है, के परिणामस्वरूप अपराध के घटकों को छिपाया जा सकता है। न्यायाधीश को इन कारकों के प्रति सचेत रहना होगा और शर्मिंदगी के कारण ऐसी किसी भी आपत्ति से ऊपर उठना होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे सच्चाई और वास्तविक कार्यों पर संदेह न करें जो अभियुक्त व्यक्तियों के लिए जिम्मेदार हैं।

(xxiii) अदालत को गवाही दर्ज करने से पहले गवाह की बोली जाने वाली भाषा के साथ-साथ शब्दावली की सीमा का पता लगाना चाहिए। साक्ष्य का रिकॉर्ड बनाने में न्यायालय को आक्षेप या ऐसी अभिव्यक्तियों के प्रयोग से बचना चाहिए जिसका भिन्न-भिन्न तरीके से आशय बताया जा सकता है। उदाहरण के लिए, "गंदी हरकतें "या" बद्तमिज़ी "का कोई निश्चित अर्थ नहीं है। इसलिए, भले ही अभियोक्त्री के शब्दों को रिकॉर्ड करना आवश्यक हो, यह जरूरी है कि उन शब्दों का उसके लिए क्या अर्थ है और क्या व्यक्त करने का इरादा है, इसे संवेदनशीलता से सामने लाया जाए।

(xiv) न्यायालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पीड़ित या बाल गवाह की आक्रामक, व्यंग्यात्मक भाषा या कठोर या यौन स्पष्ट परीक्षा या प्रतिपरीक्षा का कोई उपयोग न हो। । न्यायालय को किसी भी तरह से अपमानजनक कृत्यों की विशिष्टताओं या

चित्रण को बढ़ावा देने के प्रयासों को हतोत्साहित करने के लिए कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए जो पीड़ित या बाल गवाह को आघात पहुंचाएगा या उनकी गवाही को प्रभावित करेगा। न्यायालय को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी व्यक्ति द्वारा अदालत कक्ष में अश्लीलता का कोई तत्व या कार्यवाही का रिकॉर्ड पेश नहीं किया जाए।

(xxv) संपूर्ण सबूत प्राप्त करने के लिए, एक बाल गवाह इशारों का प्रयोग कर सकता है। अदालतों को इस तरह के स्पष्टीकरण या विवरण को लिखित रिकॉर्ड में सावधानीपूर्वक अनुवाद करना चाहिए।

(xxvi) बाल शोषण या बलात्कार की पीड़ित या बाल गवाह को न्यायालय में गवाही देते समय आवश्यकता पड़ने पर पर्याप्त अवकाश की अनुमति दी जानी चाहिए। (संदर्भःसाक्षी बनाम भारत संघ)

(xxvii) महिलाओं पर यौन हमलों के मामलों को जहां भी उपलब्ध हो, महिला न्यायाधीशों के समक्ष रखा जाना चाहिए। (संदर्भःपंजाब राज्य बनाम गुरमीत सिंह) जहाँ तक संभव हो, प्रयास किया जाए कि ऐसे मामलों से संबंधित न्यायालय कक्ष में कर्मचारी भी एक ही लिंग के हों।

(xxviii) न्यायाधीश को संतुलित, मानवीय होना चाहिए और कमजोर पीड़ित की गरिमा की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। कार्यवाही में लैंगिक पूर्वाग्रह की कोई अभिव्यक्ति नहीं होनी

चाहिए। मुख्य परीक्षा या प्रतिपरीक्षा में गवाह के अपमान की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

(xxix) किसी बाल पीड़ित या बाल गवाह से जुड़े मामले को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए उचित कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि उस समय की अवधि को कम किया जा सके जिसके लिए बच्चे को न्यायालय की कार्यवाही में शामिल होने का तनाव सहन करना पड़ता है। स्थगन के लिए किसी भी अनुरोध पर विचार करते समय, यह आवश्यक है कि न्यायालय किसी भी प्रतिकूल प्रभाव पर विचार करे और उसे महत्व दे जो मुकदमे में देरी या स्थगन या जारी रहने से बच्चे के कल्याण पर पड़ेगा।

63. यह न्यायालय इस निर्णय के माध्यम से याद दिलाता है कि इस न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय पूर्व न्यायायिक निर्णय और न्यायाधीशों को संवेदनशील बनाने के लिए इस न्यायालय द्वारा आयोजित कार्यशालाएं कि कमजोर और बाल गवाहों से किसी भी समय पूछताछ कैसे की जाए, जब कोई कमजोर गवाहों से निपट रहा हो, तो उसे भुलाया न जाए। जिस बच्चे से मामले में पूछताछ की जा रही थी, वह एक बाल गवाह की श्रेणी में था जो कमजोर है, और यह वर्ष 2009-2010 में भी आपराधिक न्यायशास्त्र में कोई नई घटना नहीं थी, क्योंकि उस समय भी, इस बारे में कई निर्णय और दिशानिर्देश थे कि विशेष रूप से यौन उत्पीड़न के मामले में एक बाल गवाह की जांच कैसे की जानी चाहिए।

64. इसलिए, यह न्यायालय इस निर्णय के माध्यम से एक बार फिर दोहराता है कि हालांकि राज्य और प्रशासन न्यायाधीशों के साथ-साथ कमजोर गवाहों के बयान समूहों को आवश्यक और आधुनिक अवसंरचना प्रदान कर सकते हैं, लेकिन यह एक न्यायाधीश के संवेदनशील मर्म को उत्पन्न नहीं कर सकता है। इसे स्वयं न्यायाधीश द्वारा संविधान के प्रति अपनी शपथ और देश के नागरिकों की सेवा से बंधे अपने कर्तव्य के हिस्से के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। प्रत्येक न्यायालय का यह भी कर्तव्य है कि उसके पास न केवल एक ऐसा हृदय हो जो संवेदनशील हो, बल्कि एक ऐसा दिमाग भी हो जो मुकदमे की रिकॉर्डिंग और संचालन करते समय सतर्क हो, विशेष रूप से यौन उत्पीड़न मामले में, ताकि मुकदमे को एक ऐसे निर्देश की ओर न मोड़ा जाए जो पूरी तरह से असंबद्ध, अनावश्यक है और आगे के आघात या अपमान का कारण बनता है या सार्वजनिक क्षेत्र में लाता है, आंतरिक पीड़ा और आघात जिस पर एक बच्चे ने चर्चा की होगी या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा किया होगा जिसके बारे में उसने सोचा था कि वह अपने आपने तक सिमितरखेगा यानी, परामर्शदाता।

65. पिछली चर्चा को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय का विचार है कि अभियोजन पक्ष द्वारा अभिलेख पर लाई गई सामग्री वर्तमान अपीलकर्ता के खिलाफ अपराध का निष्कर्ष देने के लिए अपर्याप्त थी और अभियोजन पक्ष अपने मामले को उचित संदेह से परे स्थापित करने में विफल रहा था।

66. तदनुसार, आक्षेपित निर्णय दिनांक 22.09.2010 और सजा पर आदेश दिनांक 25.09.2010 को विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (उत्तर पश्चिम -04), रोहिणी, दिल्ली द्वारा पारित आदेश **प्राथमिकी** संख्या 85/2008 को निरस्त किया जाता है। जमानत बांड, यदि कोई हो, रद्द कर दिया जाता है। प्रतिभू को बर्खास्त किया जाता है।

67. तदनुसार, वर्तमान अपील का निपटान किया जाता है।

68. फैसला तुरंत वेबसाइट पर अपलोड किया जाए।

न्या. स्वर्ण कांत शर्मा

1 मई, 2023/केएसएस

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*